

# कार्यालय प्रधानाचार्य:: जी० एस० वी० एम० मेडिकल कालेज :: कानपुर।

पत्र संख्या- / ई०सी०-1/ एन०डी०/2025

दिनांक 30/09/2025

## -: सूचना :-

शासन के पत्र संख्या-148/71-1-24/71-1001/804/2020 दिनांक 14 जून 2024 द्वारा राजकीय एलोपैथिक मेडिकल कालेजों में रिक्त चिकित्सा शिक्षकों के पदों को संविदा के आधार पर वाक-इन-इन्टरव्यू माध्यम से चयन के मातलों में नियुक्ति/तैनाती व अस्थायियों को तत्काल कार्यभार ग्रहण कराये जाने हेतु संवर्धन विज्ञापित संख्या-180/एन०डी०/2025 दिनांक 25-08-2025 के सन्दर्भ में राजकीय मेडिकल कालेज, कानपुर में विभिन्न विभागों/द्रामा सेन्टर के अन्तर्गत संविदा के आधार पर आचार्य, सह आचार्य एवं सहायक आचार्य के रिक्त पदों पर संश्लेषण हेतु विज्ञापित की गयी है, जिसके आधार पर रोमी के उपचार/एन०एम०सी० (एम०सी०आई०) मानकों की पूर्ति हेतु इस चिकित्सा महाविद्यालय/सुपर स्पेशियलिटी इन्स्टीट्यूट (पी०एम०एस०एस०आई०) रिक्त आचार्य, सह आचार्य एवं सहायक आचार्य के पदों को संविदा के आधार पर भरे जाने हेतु इन पदों पर चयन वाक-इन-इन्टरव्यू (walk-in-interview) पद्धति से शासन द्वारा नियुक्त चयन समिति के माध्यम से किया जायेगा। इच्छुक अस्थायियों से यह अपेक्षा की जाती है कि वह सामाजिक रूप से अपने समस्त मूल प्रमाण पत्रों के साथ विज्ञापित जारी होने के पर्यन्त शुक्रवार दिनांक 03-10-2025 को परीक्षा हॉल-3, मेडिकल कालेज, कानपुर में प्रातः 10:00 बजे से सायं-04:00 बजे के मध्य उपस्थित हों। अस्थायियों को यह भी सूचित किया जाता है कि वह सामाजिक के दिवस अपने समस्त शैक्षिक/अनुभव प्रमाण पत्रों/शोध पत्रों तथा एन०एम०सी० की गाइड लाइन के अनुसार सहायक आचार्य हेतु सीनियर रेजिडेन्सी एवं आचार्य/सह आचार्य हेतु एम०ई०टी०/बी०सी०बी०आर० प्रमाण पत्र की (सब प्रमाणित) छायाप्रतियों का एक सेट बायोडाटा सहित भी लायेंगे। चिकित्सा शिक्षकों के पदों की रिक्तियों एवं नियुक्ति की शर्तें जी०एस०वी०एम० मेडिकल कालेज, कानपुर के वेबसाइट www.esvmmmedicalcollege.com पर उपलब्ध है। पदों की संख्या घट बढ सकती है।

क्र. सं.	विशिष्टता का नाम	संविदा चिकित्सा शिक्षकों की रिक्त पदों की संख्या									
		आचार्य	आरक्षित श्रेणी	रॉस्टर क्रमांक	सह आचार्य	आरक्षित श्रेणी	रॉस्टर क्रमांक	सहायक आचार्य	आरक्षित श्रेणी	रॉस्टर क्रमांक	
1	आध्यापक/डिप्टि	1	अनारक्षित एम०सी०	(4)	1	ओ०बी०सी० अनारक्षित	(57)	1	ओ०बी०सी०	(3)	
2	आपथलमोलॉजी	0	0	0	1	एम०सी०	(58)	1	ओ०बी०सी०	(9)	
3	आम्बुट्रिटिक्स एण्ड गायनोकोलॉजी	0	0	0	1	ई०डब्ल्यू०एस०	(59)	1	एम०सी०	(83)	
4	इम्यूनो इन्फेक्शियोलॉजी एण्ड व्हाइरस ट्रांसमिशन मेडिसिन	0	0	0	1	अनारक्षित	(60)	1	एम०सी०	(101)	
5	इमरजेन्सी मेडिसिन	0	0	0	0	0	(65)	1	अनारक्षित	(104)	
6	एन्डोक्रायनोलॉजी (पीएमएसआरआई)	1	अनारक्षित	(38)	1	ओ०बी०सी०	(66)	1	ओ०बी०सी०	(105)	
7	एनाटमी	0	0	0	1	अनारक्षित	(67)	1	ओ०बी०सी०	(7)	
8	एनेस्थीसिया	0	0	0	1	अनारक्षित	(68)	1	अनारक्षित	(182)	
9	एनेस्थीसियोलॉजी (पीएमएसआरआई)	0	0	0	1	ओ०बी०सी०	(69)	1	ई०डब्ल्यू०एस०	(110)	
10	ओटो लैरिंगोलॉजी(ई०एन०टी०)	1	ओ०बी०सी०	(57)	0	0	(67)	1	एम०सी०	(111)	
11	कम्युनिटी मेडिसिन	0	0	0	1	अनारक्षित	(37)	1	अनारक्षित	(112)	
12	किटिकल केयर (पीएमएसआरआई)	1	ई०डब्ल्यू०एस०	(40)	0	0	0	1	एम०सी०	(59)	
13	जनरल मेडिसिन	0	0	0	1	अनारक्षित	(76)	1	ओ०बी०सी०	(39)	
14	जनरल सर्जरी	0	0	0	1	अनारक्षित	(77)	1	ओ०बी०सी०	(40)	
15	द्यूबरकुलॉसिस एण्ड रेस्पिरटरी मेडिसिन	0	0	0	1	अनारक्षित	(78)	1	ओ०बी०सी०	(51)	
16	डरमिटोलॉजी (स्कीन एण्ड वी०डी०)	1	ओ०बी०सी०	(65)	0	0	0	1	अनारक्षित	(76)	
17	डेंटल	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
18	न्यूरोलॉजी	1	अनारक्षित	(24)	0	0	0	1	अनारक्षित	(86)	
19	न्यूरोसर्जरी	1	एम०सी०	(25)	1	एम०सी०	(111)	0	ओ०बी०सी०	(87)	
20	न्यूरो रेडियोलॉजी (पीएमएसआरआई)	0	0	0	1	अनारक्षित	(44)	0	0	0	

21	नेफोलोजी, (मेडिसिन)	1	ओबीओसी	(27)	0	0	0	0	0	0
22	नेफोलॉजी(पीएमएसएसवाई)	1	अनारक्षित	(66)	1	अनारक्षित	(92)	1	ओबीओसी	(139)
	पीडियाट्रिक्स	1	अनारक्षित	(66)	1	एएसओसी	(93)	1	ईओडब्ल्यूएसओ	(170)
		1	अनारक्षित	(66)	1	अनारक्षित	(94)	1	ओबीओसी	(171)
23	पेन मेडिसिन (पीएमएसएसवाई)	1	एएसओसी	(45)	1	ओबीओसी	(95)	1		
24	पैथालोजी	0	0	0	0	0	0	0	ओबीओसी	(71)
25	फार्माकालोजी	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1	एएसओसी	(49)	1	एएसओसी	(25)	1	एएसओसी	(93)
		1	अनारक्षित	(52)	0	0	0	1	अनारक्षित	(144)
26	फिजिकल एण्ड मेडिकल रिहैबिलिटेशन (पीएमएसएसवाई)	0	0	0	1	अनारक्षित	(48)	0	एएसओसी	(173)
27	फिजियोलॉजी	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	1	ओबीओसी	(46)
28	फॉरेंसिक मेडिसिन	1	अनारक्षित	(52)	0	0	0	1	अनारक्षित	(94)
		1	अनारक्षित	(52)	0	0	0	1	एएसओसी	(145)
29	बायोकेमिस्ट्री	0	0	0	1	अनारक्षित	(96)	0	अनारक्षित	(96)
30	माइक्रोबायोलॉजी	0	0	0	0	0	0	0	अनारक्षित	(148)
31	मेडिकल मैसोइन्ट्रोलॉजी	0	0	0	0	0	0	1	0	0
32	सुरोलॉजी (पीएमएसएसवाई)	0	0	0	1	ईओडब्ल्यूएसओ	(50)	0	एएसओसी	(149)
33	रेडियोलॉजी	0	0	0	1	ओबीओसी	(51)	0	0	0
	रेडियोलॉजी	1	ओबीओसी	(37)	1	ईओडब्ल्यूएसओ	(30)	1	ओबीओसी	(37)
		1	अनारक्षित	(68)	1	अनारक्षित	(98)	1	अनारक्षित	(98)
		1	अनारक्षित	(68)	1	एएसओसी	(99)	1	अनारक्षित	(56)
		1	अनारक्षित	(68)	1	ईओडब्ल्यूएसओ	(100)	1	अनारक्षित	(152)
		1	अनारक्षित	(68)	1	एएसओसी	(101)	1	एएसओसी	(153)
		1	अनारक्षित	(68)	1	अनारक्षित	(102)	1	अनारक्षित	(154)
		1	अनारक्षित	(68)	1	अनारक्षित	(102)	1	ओबीओसी	(155)
		1	अनारक्षित	(68)	1	अनारक्षित	(102)	1	अनारक्षित	(156)
		1	अनारक्षित	(68)	1	अनारक्षित	(102)	1	ओबीओसी	(157)
33	साइकेट्री	1	अनारक्षित	(68)	1	ओबीओसी	(103)	1	फिजिसिस्ट	(161)
		1	अनारक्षित	(68)	1	ओबीओसी	(103)	1	अनारक्षित	(158)
		15			52			87		

- उक्त पदों पर नियमानुसार आरक्षण देय होगा संविदा पर नियुक्ति की शर्तें निम्नवत हैं:-
- संविदा पर नियुक्ति किये जाने वाले आचार्यों का नियत वेतन ₹-2,20,000/-, सह आचार्यों का नियत वेतन ₹-1,60,000/-, सहायक आचार्यों को नियत वेतन ₹-1,20,000/- एवं प्रवक्ता शैक्षिक अहर्ताएं एवं अनुभव पूर्ण करना आवश्यक है।
  - शासनादेश संख्या- 2282/71-1-2013-जी-11/2011 दिनांक 23-09-2013 द्वारा राजकीय एलोपैथिक मेडिकल कालेजों में सेवानिवृत्त चिकित्सा शिक्षकों को संविदा पर नियुक्ति किये जाने की अधिकतम आयु सीमा 70 वर्ष होगी।
  - शासनादेश सं-562/71-1-2020-जी-63/2008 दिनांक 10 जून, 2020 द्वारा संविदा पर नियुक्त चिकित्सा शिक्षकों की अधिकतम आयु नियुक्ति वर्ष के जुलाई माह के प्रथम दिवस को सहायक आचार्य हेतु 60 वर्ष, सह आचार्य हेतु 64 वर्ष एवं आचार्य हेतु 68 वर्ष होगी।
  - चयन से सम्बन्धित कालेज से उत्तीर्ण अभ्यर्थी तथा नये स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त अभ्यर्थी को पूर्ववर्ती अभ्यर्थी पर वरीयता प्रदान की जायेगी।
  - चिकित्सा शिक्षकों की शैक्षिक अहर्ता/शैक्षिक अनुभव 30 प्रो राज्य चिकित्सा महाविद्यालय अध्यापकों की जारी सेवा नियमावली (पंचम संशोधन)-2018 एवं समय-समय पर पूर्व में निर्गत सेवा नियमावली के दिन प्राइवेट प्रैक्टिस नहीं करेंगे।
  - प्राइवेट प्रैक्टिस करने वाले शिक्षकों को प्राइवेट प्रैक्टिस के स्थान निर्दिष्ट करना होगा।
  - कोई भी चिकित्सा शिक्षक इस चिकित्सा महाविद्यालय से सम्बद्ध चिकित्सालयों में आये योगियों को प्राइवेट में देखने के लिए बाध्य नहीं करेगा।
  - प्राइवेट प्रैक्टिस करने वाले चिकित्सा शिक्षकों को मेडिकल कालेजों में आकस्मिक/आपदा सेवाओं के दृष्टिगत हमेशा उपलब्ध रहना होगा।
  - उक्त नियत वेतन के अतिरिक्त संविदा पर कार्यरत चिकित्सा शिक्षकों को अन्य किसी प्रकार के वेतन/भत्ते एवं सेवागत लाभ अनुमन्य नहीं होंगे।
  - संविदा पर नियुक्ति चिकित्सा शिक्षकों की सेवायें लोक सेवा आयोग से सीधी बर्षों के माध्यम से चयनित चिकित्सा शिक्षकों के उपलब्ध होने पर तत्काल समाप्त हो जायेगी एवं सेवा संतोषजनक न पाये जाने पर एक माह की नोटिस देकर भी सेवा समाप्त की जा सकती है।
  - ऐसे चिकित्सा शिक्षकों का संविदा कार्यकाल एक वर्ष होगा। एक वर्ष की संतोषजनक सेवा के पश्चात लोक सेवा से चयनित अभ्यर्थी/नियमित चिकित्सा शिक्षक उपलब्ध न होने पर आवश्यकतानुसार इनकी संतोषजनक सेवा के आधार पर कार्यकाल पुनः बढ़ाया जा सकेगा।
  - संविदा पर नियुक्त चिकित्सा शिक्षकों के लिए यह आवश्यक होगा कि वह करार होने के 30 दिन के भीतर सम्बन्धित मेडिकल कालेज में अपना कार्यभार ग्रहण कर लें। उक्त समयवधि में कार्यभार ग्रहण न करने की दशा में संविदा स्वतः रद्द मानी जायेगी। संविदा पर नियुक्त ऐसे चिकित्सा शिक्षकों के कार्यभार ग्रहण की सूचना सम्बन्धित मेडिकल कालेज के प्रधानाचार्य द्वारा शासन तथा महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण को तत्काल भेजी जायेगी।
  - संविदा पर नियुक्त चिकित्सा शिक्षक संविदा कालावधि के लिए किसी प्रकार की पेंशन सम्बन्धी सुविधाओं का हकदार नहीं होगा। उसे उक्त कालावधि के लिए कोई बोनस देय नहीं होगा।
  - संविदा आधारित नियुक्ति किसी भी एक पक्ष द्वारा और किसी भी समय 01 माह की सूचना एक माह का संविदा वेतन सुपान करके समाप्त की जा सकती है।
  - संविदा पर नियुक्त चिकित्सा शिक्षकों की अन्य सेवा शर्तें ऐसी होंगी जैसे करार या अनुभव पत्र में विनिर्दिष्ट की जाये। संविदा पर कार्यरत चिकित्सा शिक्षकों के अनुभव या करार में इस तथ्य का उल्लेख किया जायेगा कि वह अभिध में अपने कार्य एवं अपने कार्यकाल के आधार पर अपने विनियमितकरण अथवा स्वीकारण का दावा नहीं करेंगे और न ही उन्हें निर्धारित नियत वेतन के अतिरिक्त कोई अन्य सुविधा अनुमन्य होगी।
  - अभ्यर्थियों से सामाजिकता के समय इस आशय का घोषणा पत्र भी प्राप्त किया जायेगा कि उनके विरुद्ध माननीय न्यायालय में कोई अपराधिक वाद प्रचलित नहीं है, यदि उनके विरुद्ध कोई प्रतिकूल तथ्य पाया जाता है तो उनकी सेवाएँ समाप्त कर दी जायेगी।
  - उपरोक्त शासन, वार्षिक अनुभाग-2, उ0प्र0 लखनऊ के कार्यालय ज्ञाप सं-1/2019/4/1/2002/का-2/19 टी.सी.-II दिनांक 18-02-2019 के अन्तर्गत ईओडब्ल्यूएसओ (आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग) के आरक्षण का लाभ प्राप्त करने हेतु कुल वार्षिक आय ₹ 8.00 लाख से कम होगी तथा परिवार की आय और परिसंपत्ति का प्रमाण पत्र सम्बन्धित क्षेत्र के तहसीलदार से अनिवार्य अधिकारी द्वारा जारी/प्रमाणित किया जायेगा। इस सम्बन्ध में विस्तृत विवरण नोट पर देखा जा सकता है।
  - सुपर स्पेशियलिटी के पदों की शैक्षिक अहर्ता नवीन एम0एम0सी0 गाइड लाइन के अनुसार अनुमन्य होगी।
  - सुपर स्पेशियलिटी के पदों का समायोजन होने की दशा में पदों की संख्या घट या बढ़ सकती है।
  - जो अभ्यर्थी एम0डी0/एम0एस0 के अतिरिक्त कोई अन्य योग्यता रखता/रखती है, तो उसे वरीयता दी जायेगी।

सं-283 / तददिनांक

- प्रतिनिधि- निम्न लिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
- गहानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ को इस आशय के साथ प्रेषित कि उक्त विज्ञप्ति को वेबसाइट पर अपलोड कराने की कृपा करे।
  - समस्त प्रधानाचार्य, राजकीय मेडिकल कालेज, उ0प्र0।
  - नोडल अधिकारी वेब साइट, मेडिकल कालेज, कानपुर को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त विज्ञप्ति को वेबसाइट पर अपलोड कराना सुनिश्चित करे।

प्रधानाचार्य  
मेडिकल कालेज, कानपुर

प्रधानाचार्य  
मेडिकल कालेज, कानपुर